

जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव

विषय:-सामुदायित सहभागिता के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु

राजस्व ग्रामग्राम पंचायत.....विकास खण्ड
जनपद की जल प्रबन्धन समिति दिनांककी बैठक करके निम्न
प्रस्ताव पारित करती है कि:-

(अ) हम अपने ग्राम में निम्नलिखित स्थान पर जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है पर इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करने के आधार पर लगवाने को सहमत हैं जिसकी अनुमानित लागत रू0 होगी।

(अ) : 1- चौहद्दी - पूर्व..... पश्चिम उत्तरदक्षिण
पुरवासामान्य/अनुजाति बस्ती जिसकी वर्तमान जनसंख्याहै।
प्रमाणित किया जाता है कि :-

(अ) : 2- उपरोक्त पुरवे में यह हैण्डपम्प लगने में तथा अब तक लगेहैण्डपम्पों को शामिल करके प्रति हैण्डपम्प 150 या 150 अधिक जनसंख्या लाभान्वित होगी।

(अ) : 3- उक्त चयनित स्थल सार्वजनिक है तथा घर/झोपड़ी से न्यूनतम 5 मीटर दूर है।

(अ) : 4- चयनित स्थल जल निकासी के लिए आवश्यक पर्याप्त ऊँचे स्थान पर है और हैण्डपम्प के चारों ओर पानी इकट्ठा होने की सम्भावना नहीं है।

(अ) : 5- चयनित स्थल पूर्व निर्मित कुएं/सेप्टिक टैंक/सोकपिट/प्राकृतिक गड्ढे/शौचालय के गड्ढे से न्यूनतम 20 मीटर दूर है।

(अ) : 6- चयनित स्थल गहरे नलकूप से न्यूनतम 30 मीटर दूर है तथा पम्पिंग सेटों से न्यूनतम 50 मीटर दूर है।

अथवा

(ब) : हम अपने ग्राम में पाइप पेयजल योजना जिसकी अनुमानित लागत रू0.....लाख है का 10 प्रतिशत अंश स्वयं वहन करने को सहमत हैं।

2-(अ) : इन हैण्डपम्पों के रख-रखाव हेतु जल प्रबन्धन समिति रू0.....प्रतिमाह प्रति परिवार एकत्रित करके हैण्डपम्प के रखरखाव का संकल्प करती है।

(ब) : ग्रामीण पेयजल योजना का रख-रखाव जल प्रबन्धन समिति द्वारा पेयजल व्यवस्था से आय अर्जित आय से कराया जायेगा।

3-उपरोक्त धनराशि एकत्रित हो जाने पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा हैण्डपम्प का निर्माण/पाइप पेयजल योजना का कार्य कराया जायेगा।

4-निर्मित हैण्डपम्प/पेयजल योजना का वार्षिक संकल्प करती है।

(ब) : ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का रखरखाव जल प्रबन्धन समिति द्वारा पेयजल व्यवस्था से अर्जित आय से कराया जायेगा। रख-रखाव निर्माण की तिथि से एक वर्ष तक निर्मात्री संस्था किया जायेगा। उसके बाद जल प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा।

गवाह के हस्ताक्षर

1—
नाम

जल प्रबन्धन समिति की ओर से हस्ताक्षर
नाम

पदनाम

अध्यक्ष

जल प्रबन्धन समिति

मुहर

2—
नाम

ग्राम पंचायत :
विकास खण्ड :
जनपद :
दिनांक :

प्रतिलिपि :-

- 1— मुख्य विकास अधिकारी जनपद—
- 2— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण—शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम
- 3— रिकार्ड फाइल